न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आर.टी.एस.)

दिनांक 25.9.17

मि0न020 / 17

निर्णय

सरकार बनाम कृष्ण सिंह

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का संरूण्ड ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि संवत 2074 में वाके ग्राम संरूण्ड के खसरा नंबर 601 / 0.17किस्म जमीन गै0मु0 चाह में से 0.01 पर कृष्ण सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी संरूण्ड ने रूडी डालकर अतिक्रमण कर लिया है

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामिल सामिल पत्रावली किये गये। सूचना परान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया । अतः गैर सायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाति है।

अतः गैर सायल कृष्ण सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी संरूण्ड को वाके ग्राम सरूण्ड के खसरा नंबर 601 किस्म जमीन गै0मु0 चाह पर अतिकमि घौषित करते हुए उक्त आराजीयात पर डाली गई रूडी को हटवाया जाकर भोतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.40रू का पचास गुणा२०रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली, पैलन्टी वसूली हेतु भू0अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो।तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे ।निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.9.17 को सर्रे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2017 .. 018...... के रा० लै० 4
के पृष्ठ संख्या 35 .. पर ..20रू..
रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली